

अध्याय – VIII

पूर्ण ब्लॉक पद्धति

क-आवश्यक बातें

8.01 पूर्ण ब्लॉक पद्धति की आवश्यक बातें:-

- (1) जहाँ गाड़ियों का संचालन पूर्ण ब्लॉक पद्धति पर होता है, वहाँ:-
 - (क) किसी भी गाड़ी को ब्लॉक स्टेशन से चलने की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि आगे के ब्लॉक स्टेशन से लाइन क्लीयर नहीं मिल जाता।
 - (ख) दोहरी (डबल) लाइनों पर ऐसा लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि जिस ब्लॉक स्टेशन पर लाइन क्लीयर दिया जाता है उसके प्रथम रोक (स्टॉप) सिगनल तक ही नहीं बल्कि उसके आगे भी पर्याप्त दूरी तक लाइन साफ नहीं है।
 - (ग) इकहरी (सिंगिल) लाइन पर लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि लाइन क्लीयर देने वाले ब्लॉक स्टेशन पर लाइन, उसी दिशा में जाने वाली गाड़ियों से केवल प्रथम रोक (स्टॉप) सिगनल तक ही नहीं बल्कि उसके आगे पर्याप्त दूरी तक साफ नहीं है और लाइन क्लीयर पाने वाले ब्लॉक स्टेशन की ओर जाने वाली गाड़ियों से भी साफ नहीं है।
- (2) जब तक कि अनुमोदित विशेष अनुदेशों द्वारा अन्यथा निर्देश नहीं दिये गये हैं, उपनियम (1) के खण्ड (ख) और (ग) में उल्लिखित पर्याप्त दूरी निम्नलिखित से कम नहीं होगी, अर्थात्:-
 - (क) द्वि-संकेती लोअर क्वाड्रेंट सिगनल अथवा द्वि-संकेती रंगीन बत्ती सिगनल व्यवस्था में, 400 मीटर, तथा
 - (ख) बहु-संकेती सिगनल या संशोधित लोअर क्वाड्रेंट व्यवस्था में, 180 मीटर।

ख –लाइन क्लीयर देने की शर्तें

8.02. 'ए' क्लास स्टेशन पर लाइन क्लीयर देने की शर्तें:- इकहरी (सिंगिल) अथवा दोहरी (डबल) लाइन 'ए' क्लास स्टेशन पर लाइन तब तक साफ नहीं समझी जाएगी और लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि –

- (क) ठीक पहले जाने वाली गाड़ी पूरी नहीं आ पहुँची है,
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे के सभी सिगनल फिर से 'आन' नहीं कर दिये गये हैं,
- (ग) जिस लाइन पर गाड़ी ली जानी है वह प्रस्थान (स्टार्टर) सिगनल तक साफ नहीं हैं, तथा
- (घ) उक्त लाइन पर गाड़ी के प्रवेश के लिए सभी काँटे सही ढंग से सेट नहीं कर दिये गये हैं और सभी सम्मुख (फेसिंग) काँटों पर ताला नहीं लगा दिया गया है।

8.03 बी' क्लास स्टेशन पर लाइन क्लीयर देने की शर्तें:-

- (1) दोहरी (डबल) लाइन पर 'बी' क्लास स्टेशन पर लाइन तब तक साफ नहीं समझी जाएगी और लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि –
 - (क) ठीक पहले जाने वाली गाड़ी पूरी नहीं आ पहुँची है,
 - (ख) उक्त गाड़ी के पीछे के सभी आवश्यक सिगनल फिर से 'आन' नहीं कर दिये गये हुए तथा
 - (ग) लाइन –
 - (i) द्वि-संकेती सिगनल व्यवस्था वाले स्टेशनों पर, निकट (होम) सिगनल तक साफ नहीं है। अथवा

CHAPTER VIII THE ABSOLUTE BLOCK SYSTEM

A. Essentials

8.01. Essentials of the Absolute Block System:-

- (1) Where trains are worked on the Absolute Block System:-
 - (a) no train shall be allowed to leave a block station unless Line Clear has been received from the block station in advance, and
 - (b) on double lines such Line Clear shall not be given unless the line is clear, not only upto the first Stop signal at the block station at which such Line Clear is given but also for an adequate distance beyond it;
 - (c) on single lines such Line Clear shall not be given unless the line is clear of trains running in the same direction, not only upto the first Stop signal at the block station at which such Line Clear is given, but also for an adequate distance beyond it, and is clear of trains running in the direction towards the block station to which such Line Clear is given.
- (2) Unless otherwise directed by approved special instructions, the adequate distance referred to in clause (b) and (c) of sub-rule (1) shall not be less than:-
 - (a) 400 metres in case of two-aspect lower quadrant signalling or two-aspect colour light signalling, and
 - (b) 180 metres in case of multiple aspect signalling or modified lower quadrant signalling.

B. Conditions for granting Line Clear.

8.02 Conditions for granting Line Clear at a class 'A' station:- At a class 'A' station on single line or double line, the line shall not be considered clear and Line Clear shall not be given, unless-

- (a) the whole of the last preceding train has arrived complete;
- (b) all signals have been put back to 'on' behind the said train;
- (c) the line on which it is intended to receive the incoming train is clear upto the Starter, and
- (d) all points have been correctly set and all facing points have been locked for the admission of the train on the said line.

8.03. Conditions for granting Line Clear at a class 'B' station :-

- (1) At a class 'B' station on double line, the line shall not be considered clear and Line Clear shall not be given, unless-
 - (a) the whole of the last preceding train has arrived complete;
 - (b) all necessary signal have been put back to 'on' behind the said train; and
 - (c) the line is clear-
 - (i) at stations equipped with two-aspect signalling upto the home signal, or-

- (ii) बहु-संकेती या संशोधित लोअर क्वार्टेंट सिगनल व्यवस्था वाले स्टेशनों पर— बाह्यतम सम्मुख (फेसिंग) काँटों तक अथवा ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड तक (यदि कोई लगा है) साफ नहीं है।
- (2) इकहरी (सिंगिल) लाइन पर 'बी' क्लास स्टेशन पर लाइन तब तक साफ नहीं समझी जाएगी और लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जाएगा, जब तक कि —
- (क) ठीक पहले जाने वाली गाड़ी पूरी नहीं आ पहुँची है,
- (ख) उक्त गाड़ी के पीछे के सभी आवश्यक सिगनल फिर से 'आन' नहीं कर दिये गये हैं, तथा
- (ग) लाइन निम्नलिखित तक साफ नहीं है, अर्थात्
- (i) द्वि-संकेती सिगनल व्यवस्था वाले स्टेशनों पर— स्टेशन पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे के शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान (एडवांस्ड स्टार्टर) सिगनल तक, अथवा यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान (एडवांस्ड स्टार्टर) सिगनल नहीं है तो निकट (होम) सिगनल तक, अथवा यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान सिगनल (यदि कोई है) या निकट (होम) सिगनल नहीं है तो बाह्यतम सम्मुख (फेसिंग) काँटों तक,
- (ii) बहु-संकेती या संशोधित लोअर क्वार्टेंट सिगनल व्यवस्था वाले स्टेशनों पर—स्टेशनों पर प्रत्याशित गाड़ी के निकटतम सिरे की तरफ के शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान सिगनल (यदि कोई है) तक, अथवा यदि शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान (एडवांस्ड स्टार्टर) सिगनल नहीं है तो बाह्यतम सम्मुख (फेसिंग) काँटों तक।

नोट:— 'बी' क्लास के इकहरी (सिंगिल) लाइन वाले स्टेशन पर, यदि दूसरी ओर के ब्लॉक स्टेशन को लाइन क्लीयर दे दिया गया है तो यह नियम किसी गाड़ी को, उसके विपरीत दिशा से बिना रुके प्रवेश करने के लिए मना नहीं करता है परन्तु यह तब तक द्वि-संकेती सिगनल व्यवस्था में बाहरी (आउटर) सिगनल और बाह्यतम सम्मुख (फेसिंग) काँटों के बीच की दूरी तथा बहु-संकेती सिगनल और बाह्यतम सम्मुख (फेसिंग) काँटों के बीच की दूरी तथा बहु-संकेती सिगनल व्यवस्था अथवा संशोधित लोअर क्वार्टेंट सिगनल व्यवस्था के निकट (होम) सिगनल और बाह्यतम सम्मुख (फेसिंग) काँटों के बीच की दूरी लाइन क्लीयर देने की शर्तों से संबंधित नियम 8.01 में निर्धारित पर्याप्त दूरी और नियम 3.40 में गाड़ी के प्रवेश के लिए निकट (होम) सिगनल को ऑफ करने की शर्तों के अंतर्गत निर्धारित पर्याप्त दूरी के जोड़ से कम नहीं है, चाहे नियम 3.32 के उपनियम (1) में निर्धारित शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान (एडवांस्ड स्टार्टर) सिगनल नहीं भी लगाया गया है।

स.नि. 8.03 (i) स्टेशन मास्टर स्वयं को यह आश्वस्त करने के लिये कि ठीक पहले आने वाली अंतिम गाड़ी सम्पूर्ण आ चुकी है, साधारण एवं सहायक नियम 4.17 के प्रावधानों का अनुपालन करेगा।

(ii) इसके अतिरिक्त स्टेशन मास्टर अपने आप को आश्वस्त करने के लिये कि सेक्शन गाड़ियों से साफ है, गाड़ी सिगनल रजिस्टर की जांच करेंगे।

(iii) जब कभी लाइन के मरम्मत होने के फलस्वरूप या अन्य किसी अन्य कारण से विशेष सावधानियों की आवश्यकता है या विशेष प्रतिबंधों का पालन करना है तो प्रभावित सेक्शन में लाइन क्लीयर देने के पूर्व या स्विचमैन/केबिन स्टेशन मास्टर को लाइन क्लीयर देने के लिये प्राधिकृत करने के पूर्व संबंधित स्टेशन मास्टर को देखना होगा कि उसके द्वारा जारी किये गये गति प्रतिबंध लगाने की सूचना वाले संदेश की अभिस्वीकृति उन स्टेशन मास्टर/स्टेशन मास्टरों से जिन्हें सतर्कता आदेश जारी करने के अनुदेश दिये गये हैं, मिल गई हैं।

(iv) स्टेशन मास्टर साधारण नियम 8.03 का पालन दिन में सिगनल की भुजा को और रात में पीछे की बत्ती (बैक लाइट) को स्वयं देखकर अवश्य करेगा और जब धुंध, कुहरे या तूफानी मौसम के कारण सिगनल का हत्था/पिछली बत्ती (बैक लाइट) दिखाई न पड़े तो स्टेशन मास्टर

- (ii) at stations equipped with multiple-aspect signalling or modified lower quadrant signalling-upto the outermost facing points or the Block Section Limit Board (if any).
- (2) At a class 'B' station on single line, the line shall not be considered clear and Line Clear shall not be given, unless-
 - (a) the whole of the last preceding train has arrive complete;
 - (b) all necessary signals have been put back to 'on' behind the said train; and
 - (c) the line is clear-
 - (i) at stations equipped with two-aspect signalling- upto the Shunting Limit Board or Advanced Starter (if any) at that end of the station nearest to the expected train. or upto Home Signal if there is no shunting limit Board or advanced starter, or upto the outermost facing points if there is no Shunting Limit Board or Advanced Starter or Home signal;
 - (ii) at stations equipped with multiple-aspect signalling or modified lower quadrant signalling- upto the Shunting Limit Board or Advanced Starter (if any) at the end of the station nearest to the expected train, or upto the outermost facing points if there is no Shunting Limit Board or Advanced Starter.

Note:- At a class 'B' single line station, this rule does not forbid direct reception of a train from one side, when Line Clear has been given to the block station on the other side provided the distance between the outer signal and outermost facing points in two-aspect signalling, and between the home signal and outermost facing points in multiple-aspect signalling, or modified lower quadrant signalling is not less than the sum-total of the adequate distances prescribed in Rule 8.01 in regard to conditions for granting Line Clear and Rule 3.40 in regard to conditions for taking 'off' Home signal for the admission of a train even where Shunting Limit Boards or Advanced Starters have not been provided as prescribed in sub-rule (1) of Rule 3.32.

S.R.8.03 (i) In order to satisfy himself that the whole of the last preceding train has arrived complete, the Station Master shall follow the procedure contained under G & SR 4.17.

- (ii) The Station Master must, in addition, examine their Train Signal Registers to satisfy themselves that the section is clear of trains.
- (iii) Whenever in consequence of the line being under repairs or for any other reason, special precautions are necessary or special restrictions have to be observed, before granting Line Clear or authorising the Cabin Station Master/Switchman to grant Line Clear on the affected section, the Station Master concerned must receive acknowledgment to his message intimating imposition of the speed restrictions from the Station Master or Station Masters who have been instructed to issue Caution Order.
- (iv) The Station Master must comply with General Rules 8.03 by personally observing the signal arm by day and its back light at night and when it is not possible to see the signal arm or back light owing to thick, foggy or tempestuous weather, he must

को उस सुविधाजनक स्थान पर जाना चाहिये जहाँ से उन्हें देखा जा सके। विद्युत पुनरावर्तक (रिपीटर) वाले सिगनलों के मामले में दिन में भुजा पुनरावर्तक (रिपीटर) और रात में भुजा व रोशनी पुनरावर्तक (रिपीटर) दोनों को देखना चाहिये और यदि पुनरावर्तक कार्यशील न हो तो स्टेशन मास्टर स्वयं को सिगनल की भुजा/पिछली बत्ती (बैक लाइट) देखनी चाहिये। रंगीन बत्ती सिगनलों के मामले में स्टेशन मास्टर को सिगनल का संकेत लगे हुये पुनरावर्तक के निर्देश को देखना चाहिये।

8.04 'सी' क्लास स्टेशन पर लाइन क्लीयर देने की शर्तें:— इकहरी (सिंगिल) लाइन अथवा दोहरी (डबल) लाइन पर द्वि-संकेती, बहु-संकेती अथवा संशोधित लोअर क्वार्टेंट सिगनल व्यवस्था वाले 'सी' क्लास स्टेशनों पर लाइन तब तक साफ नहीं समझी जायेगी और लाइन क्लीयर तब तक नहीं दिया जाएगा जब तक कि —

- (क) ठीक पहले जाने वाली पूरी गाड़ी निकट (होम) सिगनल से कम से कम 400 मीटर आगे नहीं चली गई है और वह चलती ही नहीं जा रही है, तथा
- (ख) पिछली गाड़ी के लिये 'ऑफ' किये गये समस्त सिगनल उक्त गाड़ी के जाने के बाद फिर से 'आन' नहीं कर दिये गये हैं। परन्तु यह तब तक इकहरी (सिंगिल) लाइन पर, दूसरे सिरे के ब्लॉक स्टेशन से ब्लॉक हट की ओर विपरीत दिशा में चलने वाली गाड़ियों से भी लाइन साफ है।

ग— अवरोध—दोहरी (डबल) लाइन

8.05. दोहरी (डबल) लाइन के ब्लॉक स्टेशन पर गाड़ी आते समय अवरोध:—

- (1) 'ए' क्लास स्टेशन— जब लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो निकट (होम) सिगनल के बाहर अथवा जिस लाइन पर गाड़ी को लिया जाना है उस पर, सम्बन्धित प्रस्थान (स्टार्टर) सिगनल तक कोई अवरोध नहीं होने दिया जायेगा।
- (2) 'बी' क्लास स्टेशन— जब लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो स्टेशन सेक्शन के बाहर कोई अवरोध नहीं होने दिया जायेगा किन्तु स्टेशन सेक्शन के भीतर शंटिंग कार्य लगातार किया जा सकता है परन्तु यह तब जब आवश्यक सिगनल 'आन' रखे जाएं।
- (3) जब किसी ऐसी लाइन पर जो पृथक नहीं की गई है, आने वाली गाड़ी के लिए सिगनल ऑफ किए जा चुके हैं तो शंटिंग कार्य उन काँटों की तरफ नहीं किया जाएगा जिन पर से आने वाली गाड़ी को पास करना है।

8.06. दोहरी (डबल) लाइन वाले ब्लॉक सेक्शन में अवरोध:—

- (1) यदि लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो पिछले ब्लॉक सेक्शन में किसी अवरोध की अनुमति नहीं दी जाएगी।
- (2) पिछले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग या अन्य किसी कारण अवरोध की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह ब्लॉक सेक्शन साफ नहीं और ब्लॉक बैक नहीं कर दिया गया है।
- (3) अगले ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग या अन्य किसी कारण अवरोध की अनुमति तब तक नहीं दी जाएगी जब तक कि वह ब्लॉक सेक्शन साफ नहीं है और ब्लॉक फारवर्ड नहीं कर दिया गया है।

परन्तु यदि अगला ब्लॉक सेक्शन, स्टेशन से दूर जाती हुई गाड़ी से घिरा हुआ है तो उस गाड़ी के पीछे शंटिंग या अवरोध की अनुमति गाड़ी की गति, भार और ब्रेक शक्ति तथा सेक्शन के उतार-चढ़ाव का ध्यान रखते हुए विशेष अनुदेशों के अधीन दी जा सकती है और जैसे ही गाड़ी के अगले ब्लॉक स्टेशन पर पहुंचने की सूचना मिलती है वैसे ही लाइन को, यदि वह तब तक अवरुद्ध है, ब्लॉक फारवर्ड कर दिया जाएगा।

नोट:—नियम 8.14 भी देखें।

proceed to the place from where he can do so conveniently, In case of a signal with Electric Repeaters the arm repeater by day and both the arm and light repeaters by night must be observed and if the repeater is not in working order at the time, the Station Master must personally observe the signal arm/back light In case of colour light signal, the Station Master must observe the aspect of the signal indicated by the repeaters provided.

8.04 Conditions for granting Line Clear at a class 'C' station:- At a class 'C' station on single line or double line in two-aspect, multiple-aspect or modified lower quadrant signalling, the line shall not be considered clear and Line Clear shall not be given unless.-

- (a) the whole of the last preceding train has passed complete at least 400 metres beyond the Home signal and is continuing its journey; and
- (b) all signals taken 'off' for the preceding train have been put back to 'on' behind the said train;

provided that on a single line, the line is also clear of trains running in the opposite direction towards the block hut from the block station at the other end.

C. Obstruction-Double Line

8.05. Obstruction on double line at a block station when a train is approaching:-

- (1) Class 'A' station- When Line Clear has been given, no obstruction shall be permitted outside the Home signal, or, on the line on which it is intended to admit the train, upto the Starter pertaining to the said line.
- (2) Class 'B' station- When Line Clear has been given, no obstruction shall be permitted outside the station section but shunting within the station section may go on continuously, provided the necessary signals are kept at 'on'.
- (3) When signals have been taken 'off' for an incoming train on to a line which is not isolated, no shunting movement shall be carried on towards the points over which the incoming train will pass.

8.06. Obstruction on double line in the block section:-

- (1) When Line Clear has been given, no obstruction shall be permitted in the block section in rear.
- (2) Shunting or obstruction for any other purpose shall not be permitted in the block section in rear unless it is clear and is blocked back.
- (3) Shunting or obstruction for any other purpose shall not be permitted in the block section in advance unless it is clear and is blocked forward:- Provided that when the block section in advance is occupied by a train travelling away from the station, shunting or obstruction may be permitted behind the train under special instructions taking into consideration the speed, weight and brake power of trains and the gradients on the section, and as soon as intimation has been received that the train has arrived at the block station in advance, the line shall be blocked forward if it is still obstructed.

Note :- See Rule 8.14 also.

घ. अवरोध-इकहरी (सिंगिल) लाइन

घ. 1. 'ए' क्लास स्टेशन

- 8.07** गाड़ी आते समय इकहरी (सिंगिल) लाइन 'ए' क्लास स्टेशन पर अवरोध:- यदि लाइन क्लीयर दिया जा चुका है तो निकट (होम) सिगनल के बाहर या जिस लाइन पर गाड़ी ली जानी है उस पर, उस गाड़ी का नियंत्रण करने वाले प्रस्थान (स्टार्टर) सिगनल तक कोई अवरोध नहीं होने दिया जाएगा।
- 8.08** इकहरी (सिंगिल) लाइन 'ए' क्लास स्टेशन पर ब्लॉक सेक्शन अवरुद्ध करना:- शंटिंग कार्य के लिए ब्लॉक सेक्शन तब तक अवरुद्ध नहीं होने दिया जाएगा, जब तक कि -
- (क) स्टेशन मास्टर ने ब्लॉक सेक्शन के दूसरे ओर के स्टेशन मास्टर से लाइन क्लीयर प्राप्त नहीं कर लिया है, अथवा
 - (ख) ब्लॉक सेक्शन ब्लॉक बैक नहीं कर दिया गया है, अथवा
 - (ग) शंटिंग करने वाला ब्लॉक स्टेशन उससे दूर जाने वाली गाड़ी से घिरा हुआ नहीं है, ऐसी दशा में शंटिंग की अनुमति, गाड़ियों की गति, भार, ब्रेक-शक्ति और सेक्शन के उतार-चढ़ाव का ध्यान रखते हुए, विशेष अनुदेशों के अधीन दी जा सकती है। गाड़ी पहुंचने की सूचना मिलते ही ब्लॉक सेक्शन को ब्लॉक बैक कर दिया जाएगा, तथा
 - (घ) लोको पायलट या शंटिंग कार्य के प्रभारी (इंचार्ज) किसी अन्य व्यक्ति को विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित रीति से शंटिंग कार्य के लिए स्टेशन मास्टर से स्पष्ट आदेश नहीं मिल जाता है।

घ - 2. 'बी' क्लास स्टेशन

- 8.09.** इकहरी (सिंगिल) लाइन 'बी' क्लास स्टेशन पर आती हुई गाड़ी के मार्ग में अवरोध: जिस गाड़ी के लिए लाइन क्लीयर दिया जा चुका है उसके मार्ग में द्वि-संकेती सिगनल क्षेत्र में निकट (होम) सिगनल के बाहर या बहु-संकेती अथवा संशोधित लोअर क्वार्टेंट सिगनल क्षेत्र में बाह्यतम सम्मुख (फेसिंग) काँटों के बाहर लाइन तभी अवरुद्ध की जाएगी जब कि शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान (एडवांस्ड स्टार्टर) सिगनल लगा है और विशेष अनुदेशों के अधीन गाड़ियों की गति, भार, ब्रेक-शक्ति, उतार-चढ़ाव, प्रथम रोक (स्टॉप) सिगनल की स्थिति और उस दूरी का, जहाँ से आती हुई गाड़ी का लोको पायलट सिगनल देख सकता है, ध्यान रखा गया है।

स.नि. 8.09(i) द्विसंकेती सिगनल व्यवस्था के क्षेत्र में निकट (होम) सिगनल के बाहर तथा बहुसंकेती सिगनल व्यवस्था के क्षेत्र में सबसे बाहरी सम्मुख काँटों के बाहर शंटिंग की जाने वाली गाड़ी के समक्ष शंटिंग बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान सिगनल (एडवांस्ड स्टार्टर) तक यदि दिया गया है, की जा सकती है केवल -

- (क) उन स्टेशनों पर जहाँ गाड़ी की गति, भार तथा ब्रेक शक्ति, ढलान एवं प्रथम रोक सिगनल की दृश्यता को ध्यान में रखते हुये स्टेशन संचालन नियमावली में ऐसी शंटिंग करने की अनुमति है तथा
 - (ख) परन्तु यदि आ रही गाड़ी के सम्भावित आगमन से 10 मिनट पूर्व ही शंटिंग बन्द कर दी जाये या आने वाली गाड़ी प्रथम रोक सिगनल पर पहुँच गयी हो और स्टेशन मास्टर ने स्वयं अपने आप को आश्वस्त कर लिया हो कि गाड़ी सिगनल पर बिल्कुल रुक गयी है और सम्बन्धित सिगनल 'आन' रखे गये हैं।
- 8.10** इकहरी (सिंगिल) लाइन 'बी' क्लास स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन में अवरोध:-
- (1) यदि आवश्यक सिगनल 'आन' रखे जाते हैं तो स्टेशन सेक्शन में शंटिंग की जा सकती है, परन्तु शंटिंग लिमिट बोर्ड या अग्रिम प्रस्थान (एडवांस्ड स्टार्टर) सिगनल लगा होने पर वहाँ तक शंटिंग के लिए नियम 8.09 के उपबन्धों का अनुपालन किया जाएगा।
 - (2) जब किसी ऐसी लाइन पर, जो पृथक नहीं की गई है, आने वाली गाड़ी के लिये सिगनल 'ऑफ' किये जा चुके हैं तो शंटिंग कार्य उन काँटों की तरफ नहीं किया जाएगा जिन पर से आने वाली गाड़ी को पास करना है।

D. Obstruction-Single Line**D. 1. Class 'A' Stations**

- 8.07. Obstruction on single line at a class 'A' station when a train is approaching:-** When Line Clear has been given, no obstruction shall be permitted outside the Home signal, or, on the line on which it is intended to admit the train, upto the Starter which controls, the train.
- 8.08. Obstructing the block section at a class 'A' station on single line:-** The block section shall not be obstructed for shunting purposes, unless-
- (a) the Station Master has received Line Clear from the Station Master at the other end of the block section, or
 - (b) the block section is blocked back, or
 - (c) is occupied by a train travelling away from the block station at which the shunting is to be performed which shunting may be permitted under special instructions taking into consideration the speed, weight and brake power of trains and the gradients on the section. As soon as intimation has been received that the train has arrived, the block section shall be blocked back, and
 - (d) the Loco Pilot or other person in charge of the shunting operations has received distinct orders from the Station Master to shunt in a manner directed by special instructions.

D - 2. Class 'B' Stations

- 8.09. Obstruction in the face of an approaching train at a class 'B' station on single line:-** The line outside the Home signal in two-aspect signalling territory or outermost facing points in multiple-aspect or modified lower quadrant signalling territory in the direction of a train for which Line Clear has been given, shall only be obstructed when a Shunting Limit Board or an Advanced Starter is provided and under special instructions which take into consideration the speed, weight and brake power of trains, the gradients, the position of the first stop signal and the distance from which that signal can be seen by the Loco Pilot of an approaching train.

S.R. 8.09.(i) Shunting outside the Home signal in two aspect signalling territory or outermost facing points in multiple aspect signalling territory, upto the Shunting Board or Advanced Starter if provided, in face of an approaching train is permitted only.

- (a) at stations where such shunting is allowed in the Station Working Rules after taking into consideration the speed, weight and brake power of train, the gradients and the visibility of the first Stop signal; and
 - (b) provided that such shunting is stopped 10 minutes before the expected arrival of the approaching train or, if the approaching train has arrived at the first Stop signal, and the Station Master has personally satisfied himself that the train has come to a dead stop at that signal and that the necessary signals are kept at ON.
- 8.10 Obstruction within station section at a class 'B' station on single line:-**
- (1) If the necessary signals are kept at 'on' shunting may be carried on within the station section, provided the provisions of Rule 8.09 are complied with for shunting upto shunting Limit Board or Advanced Starter, where provided.
 - (2) When signals have been taken 'off' for an incoming train on to a line which is not isolated, no shunting movement shall be carried on towards the points over which the incoming train will pass.

- 8.11 इकहरी (सिंगिल) लाइन द्विसंकेती सिगनल वाले 'बी' क्लास स्टेशन पर स्टेशन सेक्शन के बाहर अवरोधः—** स्टेशन सेक्शन के बाहर और बाहरी (आउटर) सिगनल तक की लाइन तब तक अवरुद्ध नहीं की जाएगी, जब तक कि स्टेशन मास्टर द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से नियुक्त रेल सेवक संचालन कार्य का प्रभारी (इंचार्ज) नहीं है तथा जब तक कि —
- (क) जिस ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग होनी है वह किसी आती हुई गाड़ी से साफ नहीं हो जाता है और सभी सम्बद्ध और आवश्यक सिगनल 'आन' स्थिति में नहीं है, अथवा
- (ख) यदि कोई आती हुई गाड़ी बाहरी (आउटर) सिगनल पर पहुंच रही है तो, स्टेशन मास्टर ने इस बावत अपना समाधान नहीं कर लिया है कि गाड़ी उस सिगनल पर पूरी तरह खड़ी कर दी गई है :
- परन्तु खण्ड (ख) के अधीन लाइन को धुंध, कोहरे या तूफानी मौसम में, जब स्पष्ट दिखाई नहीं देता है, या किसी भी दशा में तब तक अवरुद्ध नहीं किया जायगा जब तक कि विशेष अनुदेशों द्वारा प्राधिकृत नहीं है।
- स.नि. 8.11 (i) साधारण नियम 8.11 (ख) के अधीन निम्नलिखित मामलों को छोड़कर लाइन अवरुद्ध की जा सकती है —
- (क) धुंध और कोहरे के मौसम में जैसा कि साधारण नियम 8.11 (ख) में दिया गया है।
- (ख) रात के समय।
- (ग) उन स्टेशनों पर जहाँ सम्बन्धित बाहरी (आउटर) सिगनल स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से दिखाई नहीं पड़ता है।
- (घ) उन स्टेशनों पर जहाँ सम्बन्धित बाहरी (आउटर) सिगनल तो स्टेशन मास्टर कार्यालय के सामने से दिखाई पड़ता है किन्तु पेड़ या अन्य वस्तुओं के दृश्यता में बाधक होने या किसी अन्य कारण से स्टेशन मास्टर द्वारा स्वयं अपने आपको आश्वस्त करना कि आने वाली गाड़ी बाहरी सिगनल पर रुक गयी है, संभव न हो।
- 8.12 इकहरी (सिंगिल) लाइन पर हस्तचालित बहु- संकेती सिगनल वाले 'बी' क्लास स्टेशन के स्टेशन सेक्शन के बाहर अवरोधः—** स्टेशन सेक्शन के बाहर और प्रथम रोक (स्टॉप) सिगनल तक की लाइन को तब तक अवरुद्ध नहीं किया जाएगा जब तक कि स्टेशन मास्टर द्वारा इस सम्बन्ध में विशेष रूप से नियुक्त रेल सेवक संचालन काम का प्रभारी (इंचार्ज) नहीं है और जब तक कि वह ब्लॉक सेक्शन जिसमें शंटिंग होनी है आती हुई गाड़ी से साफ नहीं हो गया है।
- 8.13 इकहरी (सिंगिल) लाइन 'बी' क्लास स्टेशन पर प्रथम रोक (स्टॉप) सिगनल के बाहर अवरोधः—** प्रथम रोक (स्टॉप) सिगनल के बाहर की लाइन तब तक अवरुद्ध नहीं की जाएगी जब तक कि लाइन को ब्लॉक बैक नहीं कर दिया जाता।

ड— साधारण उपबन्ध

- 8.14 ब्लॉक बैक या ब्लॉक फारवर्डः—** ब्लॉक बैक या ब्लॉक फारवर्ड विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित कार्य-विधि के अनुसार ही किया जाएगा।
- 8.15 ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग या अवरोध के लिए प्राधिकारः—** ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग या अवरोध की अनुमति देते समय, लोको पायलट को ब्लॉक सेक्शन में शंटिंग के लिए विशेष अनुदेशों द्वारा निर्धारित प्राधिकार दिया जाएगा और यह प्राधिकार निम्नलिखित किसी भी रूप में हो सकता है, अर्थात् —
- (क) अन्तिम रोक (स्टॉप) सिगनल वाले खम्भे पर ही, उससे नीचे निर्धारित आकार तथा डिजाइन की एक शंटिंग भुजा, अथवा
- (ख) निर्धारित डिजाइन का टोकेन, अथवा
- (ग) शंटिंग करने की लिखित अनुमति।
- स.नि. 8.15 (1) शंटिंग करने के लिये लिखित अनुमति स्टेशन मास्टर द्वारा शंटिंग आदेश फार्म टी/806 पर जारी किया जायेगा। यह कार्बन द्वारा तीन प्रतियों में बनाया जायेगा। प्रथम प्रति लोको पायलट को, द्वितीय प्रति गार्ड को (किसी गाड़ी की शंटिंग की दशा में) दिया जायेगा तथा तृतीय

8.11. Obstruction outside station section at a class 'B' single line station equipped with two-aspect signals:- The line outside the station section and upto the Outer signal shall not be obstructed unless a railway servant specially appointed in this behalf by the Station Master is in charge of the operations, and unless-

- (a) the block section into which the shunting is to take place is clear of an approaching train and all relevant and necessary signals are at 'on' position, or
- (b) If an approaching train has arrived at the Outer Signal, the Station Master has personally satisfied himself that the train has been brought to a dead stand at the signal:

Provided that the line shall not be obstructed under clause (b) in thick, foggy or tempestuous weather impairing visibility or in any case unless authorised by special instructions.

S.R. 8.11. (i) The Line may be obstructed under G.R. 8.11 (b) except in the following cases-

- (a) In thick and foggy weather, as laid down in G.R. 8.11 (b).
- (b) During night.
- (c) At stations where the Outer signal concerned is not visible from opposite the Station Master's Office.
- (d) At Station where the Outer signal concerned is visible from opposite the Station Master's Office but owing to trees or other objects interfering with the view or for any other reason it is not possible for the Station Master to satisfy himself personally that the approaching train has been brought to a standstill on the Outer signal.

8.12. Obstruction outside station section at a class 'B' single line station equipped with manually operated multiple aspect signals - The line outside the station section and upto the first stop signal shall not be obstructed unless a railway servant specially appointed in this behalf by the Station master in charge of the operations, and unless the block section into which the shunting is to take place is clear of an approaching train.

8.13. Obstruction outside the first stop signal at a class 'B' station on single line:- The line outside the first stop signal shall not be obstructed unless the line has been blocked back.

E. General Provisions

8.14. Block Back or Block forward:- Block back or block forward shall be done only in accordance with the procedure prescribed by special instructions.

8.15 Authority for shunting or obstruction in block section:- While permitting shunting or obstruction in the block section, the Loco Pilot shall be given authority for shunting in the block section as prescribed under special instruction which authority may be-

- (a) either a shunting arm of prescribed size and design on the same post as and under the last stop signal, or
- (b) a token of prescribed design, or
- (c) a written permission to shunt.

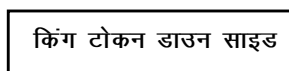
S.R.8.15(1)The written permission to shunt shall be issued by Station Master through a Shunting Order on prescribed form no T/806.This will be prepared in three foil by carbon process. The first copy shall be given to Loco Pilot, second copy to Guard (in case of

प्रति अभिलेख में रहेगा। शंटिंग आदेश में कार्य आदेश का विवरण पर क्रमवार उद्धृत किया जायेगा। किसी सिगनल को आन की स्थिति में पार करने और ब्लॉक बैक/ब्लॉक फॉरवर्ड की दशा का शंटिंग आदेश के निर्धारित स्थान में उल्लेख किया जायेगा।

मेन लाइन – अप साइड



मेन लाइन – डाउन साइड

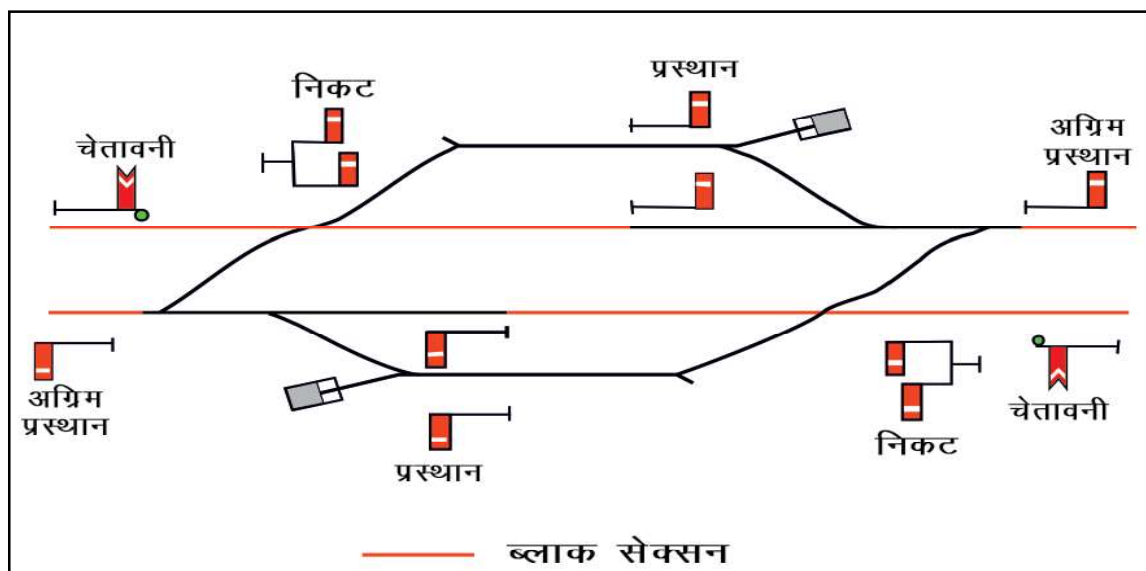


ब्रांच लाइन



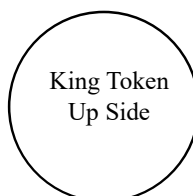
8.16 दृष्टान्त चित्र:- इकहरी (सिंगिल) लाइन और दोहरी (डबल) लाइन पर क्लास 'ए', 'बी' एवं 'सी' स्टेशनों के नीचे दृष्टान्त चित्र दिये गये हैं। ये चित्र किसी मापक्रम के अनुसार नहीं बनाये गये हैं:-

द्वि-संकेती सिगनल क्षेत्र में 'ए' क्लास दोहरी (डबल) लाइन स्टेशन पर चेतावनी,
निकट, प्रस्थान तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल



shunting on train) and third copy shall be kept as record. The details of work to be done in sequence shall be mentioned on the order. The signal to pass in 'ON' and block back/block forward if done shall also be specifically quoted in the space provided on shunting order

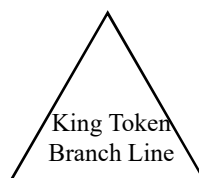
Main Line-Upside



Main Line- Down side

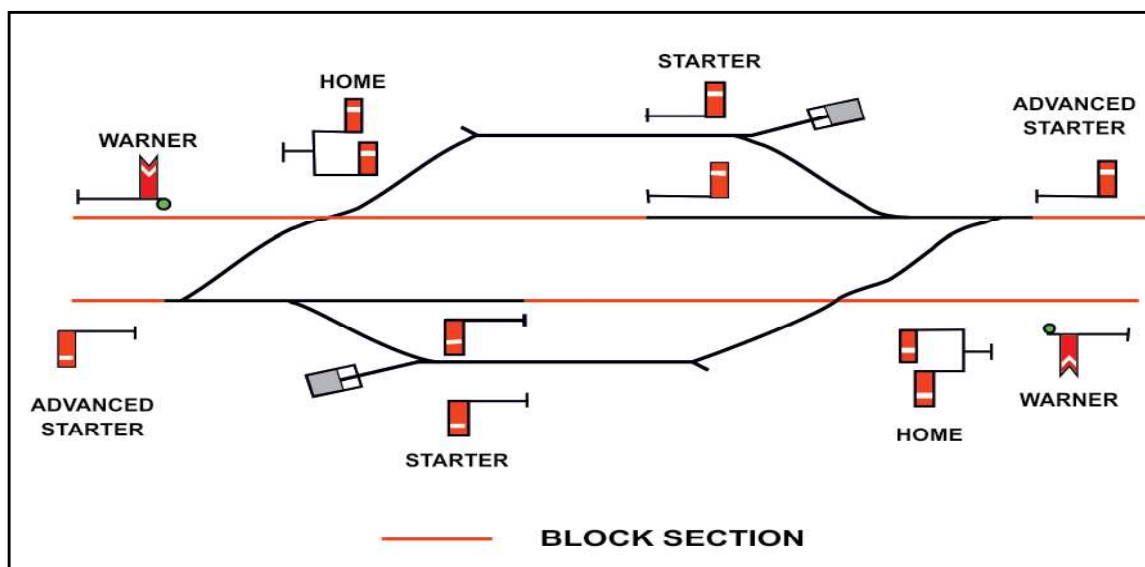


Branch Line

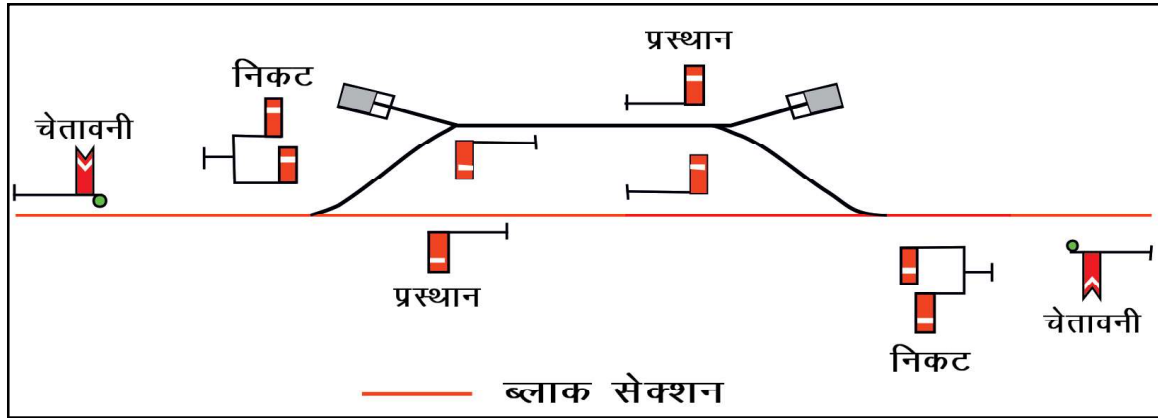


8.16 Illustrative diagrams:- Class 'A', 'B', and 'C' class stations on single line and double line are illustrated in the following diagrams, which are not drawn to scale.

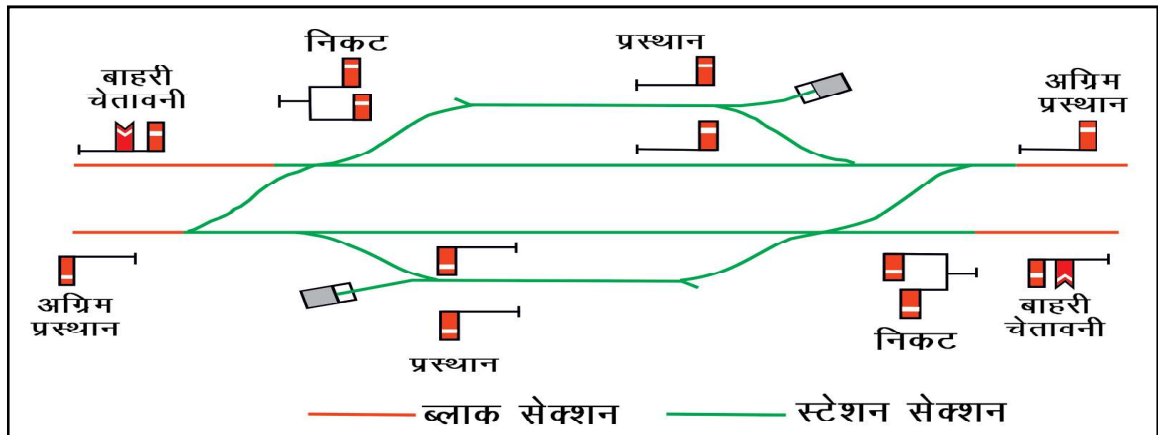
Class 'A' Double line station in two-aspect signalling territory with Warner, Home Starter and Advanced Starter signals



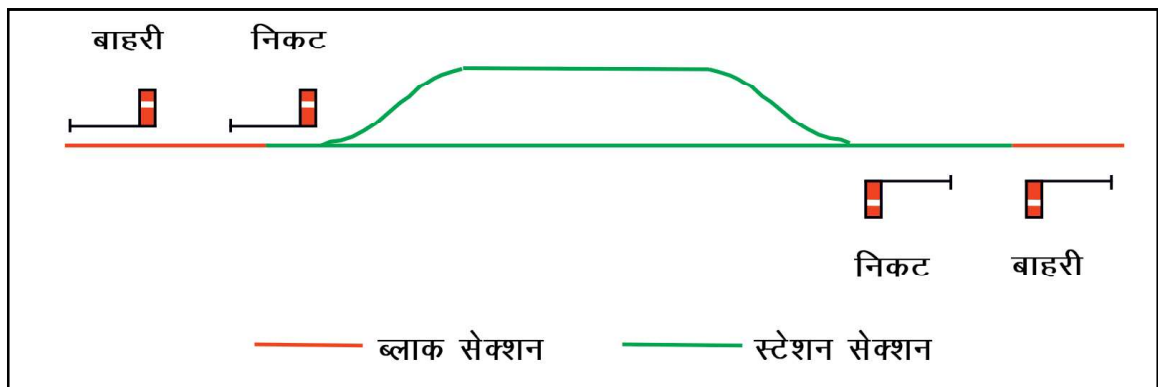
द्वि-संकेती सिगनल क्षेत्र 'ए' क्लास इकहरी (सिंगिल) लाइन स्टेशन पर चेतावनी, निकट और प्रस्थान सिगनल



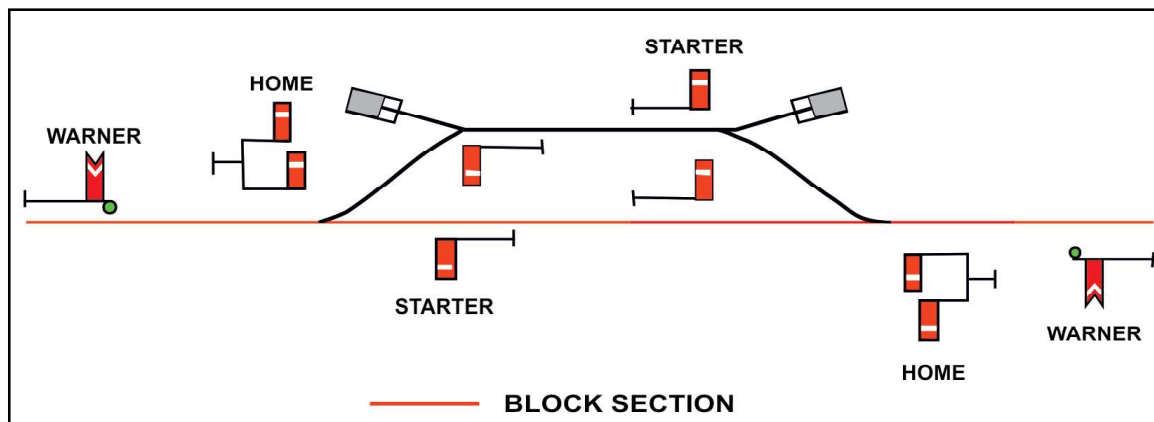
द्वि-संकेती सिगनल क्षेत्र 'बी' क्लास के दोहरी (डबल) लाइन स्टेशन पर चेतावनी, बाहरी, निकट, प्रस्थान तथा अग्रिम प्रस्थान सिगनल



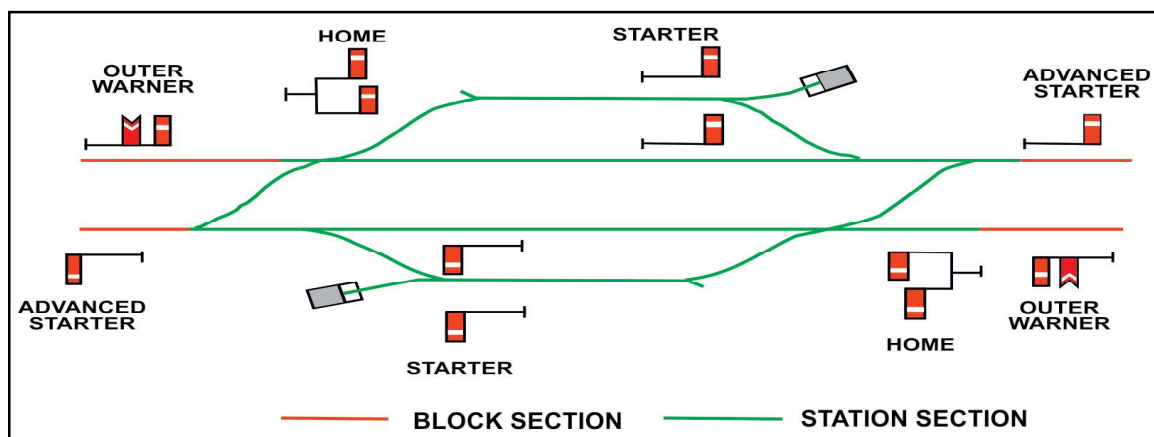
द्वि-संकेती सिगनल क्षेत्र 'बी' क्लास इकहरी (सिंगिल) लाइन स्टेशन पर बाहरी तथा निकट सिगनल



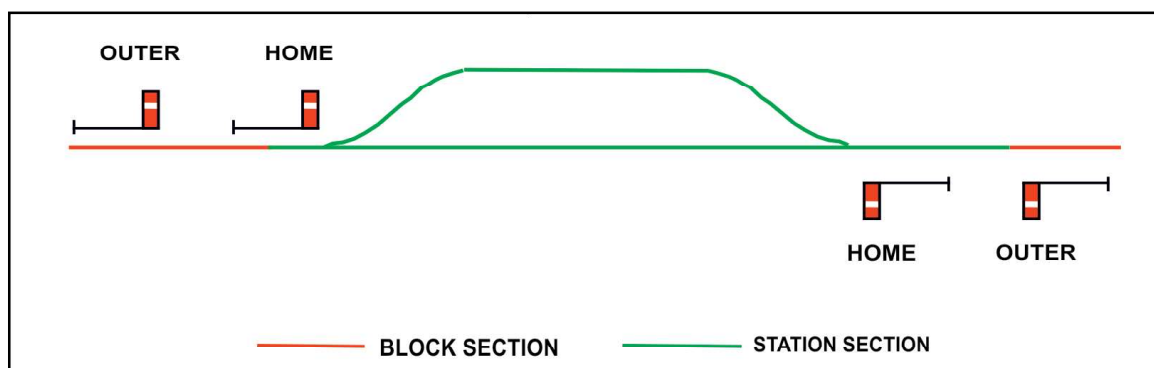
**Class 'A' Single line station in two-aspect signalling territory with
Warner, Home and Starter signals**



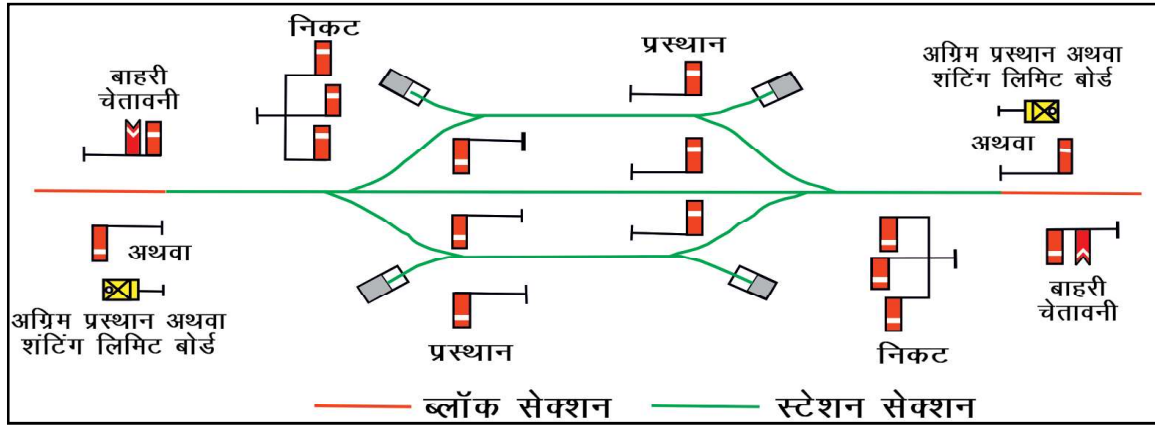
**Class 'B' Double line station in two-aspect signalling territory with Warner,
Outer Home, Starter and Advanced Starter signals**



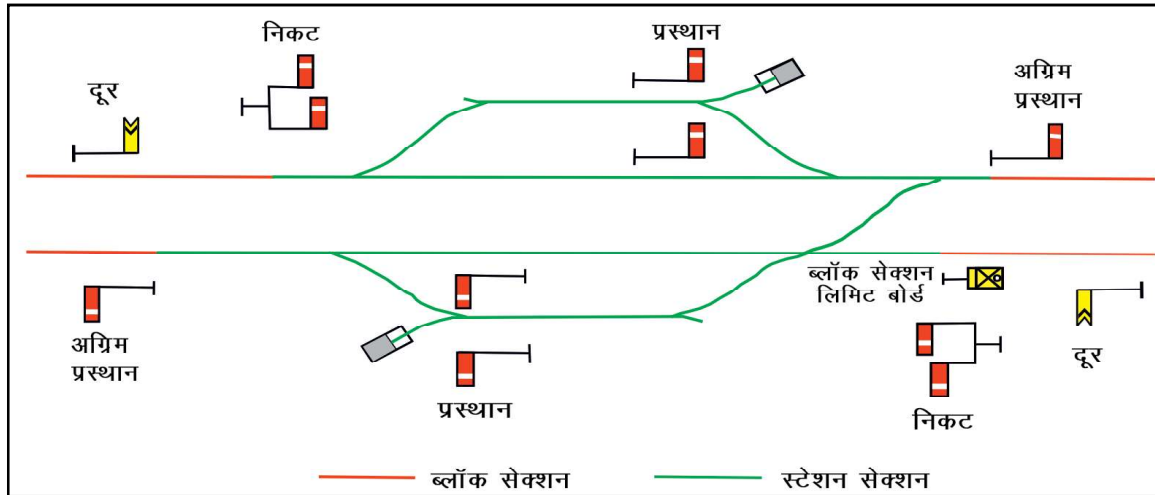
**Class 'B' Single line station in two-aspect signalling
territory with Outer and Home signals**



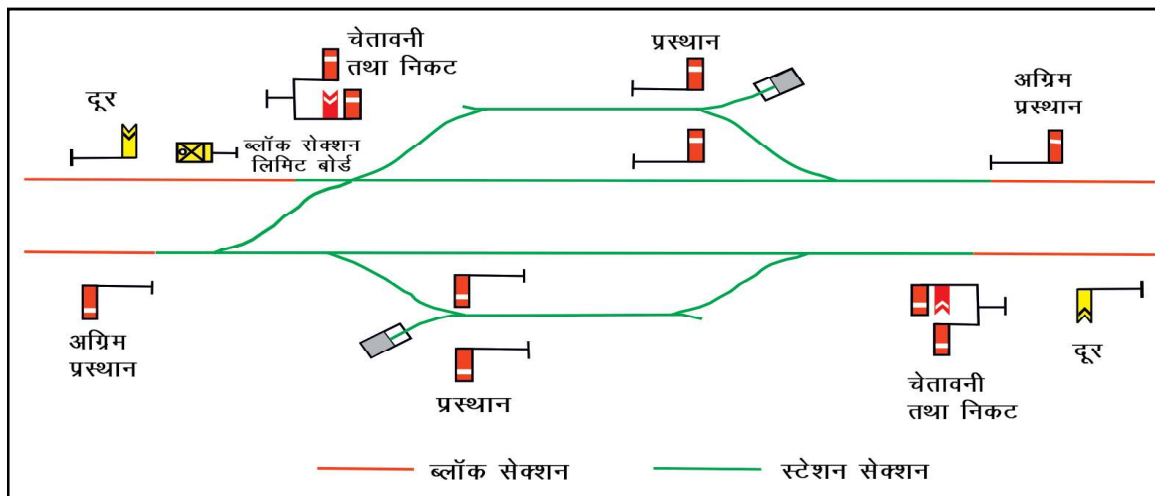
द्वि-संकेती सिगनल क्षेत्र 'बी' क्लास के इकहरी (सिंगल) लाइन स्टेशन पर चेतावनी, निकट, प्रस्थान और अग्रिम प्रस्थान सिगनल/शंटिंग लिमिट बोर्ड



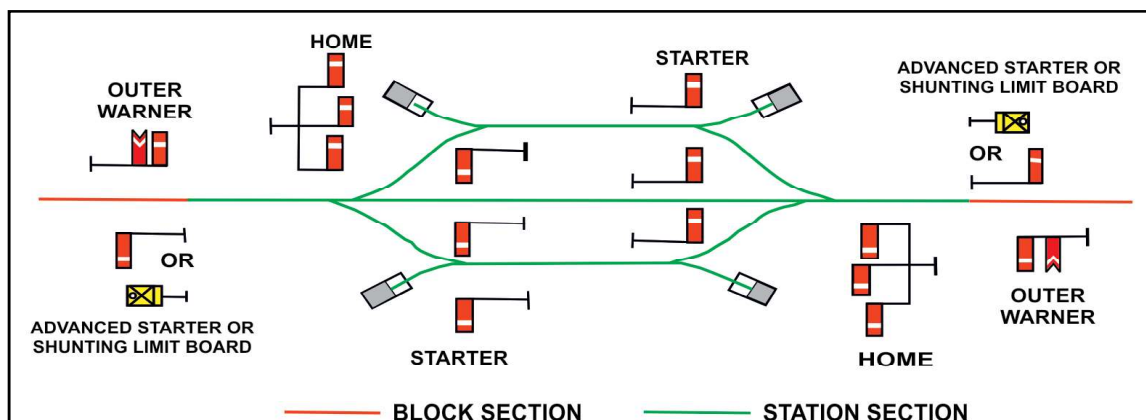
बहुसंकेती सिगनल क्षेत्र में 'बी' क्लास दोहरी (डबल) लाइन स्टेशन पर दूर (डिस्टेंट), निकट, प्रस्थान और अग्रिम प्रस्थान सिगनल और ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड



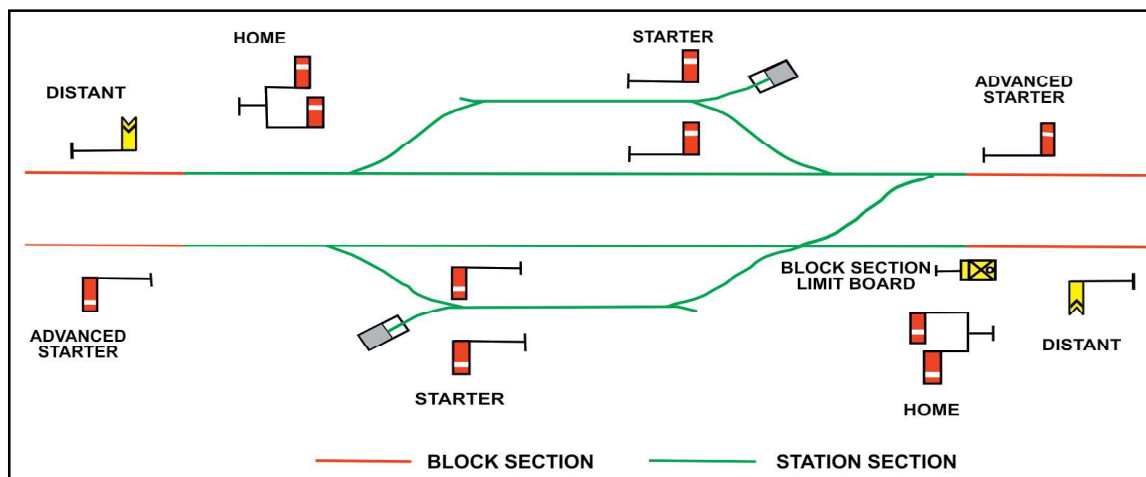
संशोधित लोअर क्वार्टेट सिगनल क्षेत्र में 'बी' क्लास दोहरी (डबल) लाइन स्टेशन पर दूर, चेतावनी, निकट, प्रस्थान, अग्रिम प्रस्थान सिगनल और ब्लॉक सेक्शन लिमिट बोर्ड



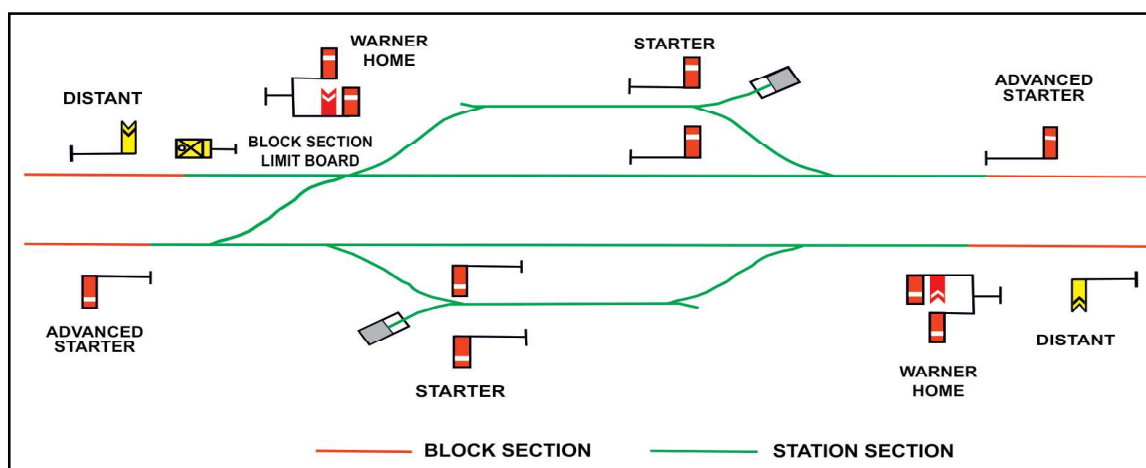
Class 'B' Single line station in two-aspect signalling territory with Warner, Outer, Home, Starter and Advanced Starter signals/Shunting Limit Boards



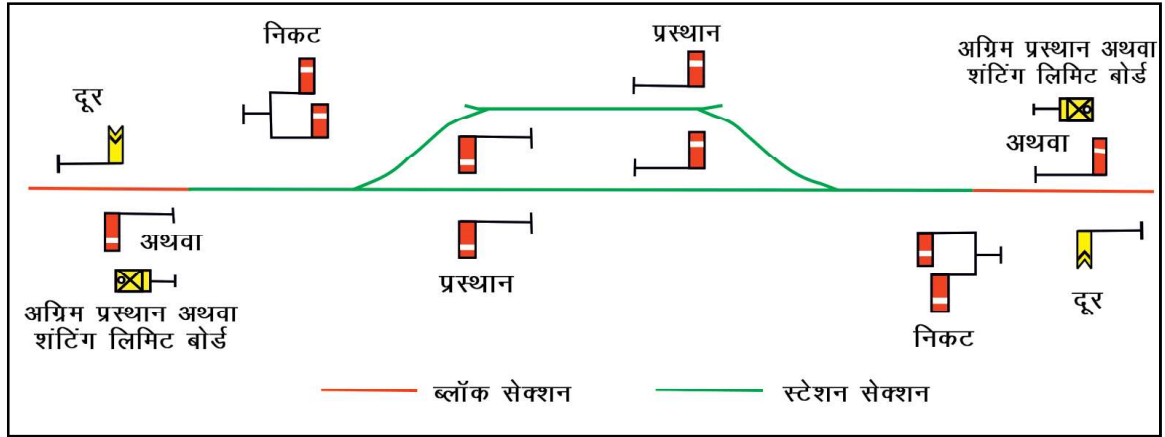
Class 'B' Double line station in multiple-aspect signalling territory with Distant, Home, Starter and Advanced Starter signals and Block Section Limit Board



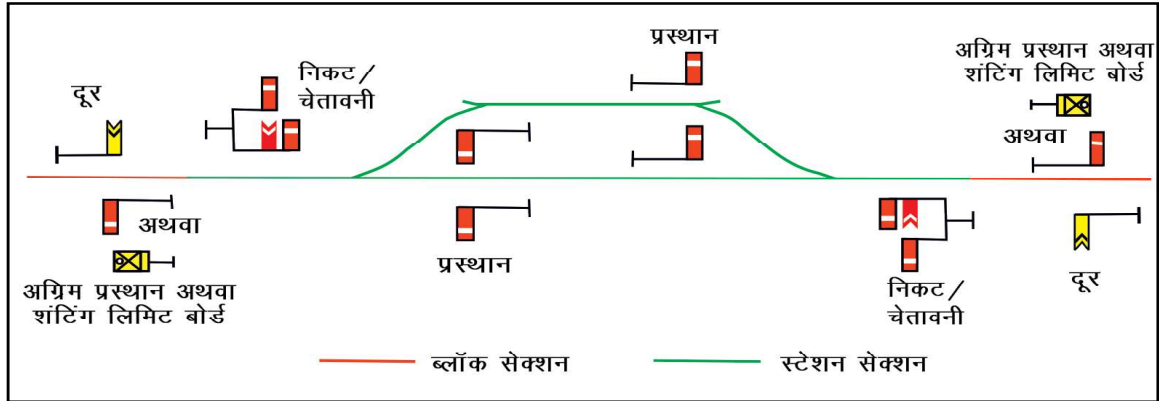
Class 'B' Double line station in modified lower quadrant signalling territory with Distant, Warner, Home, Starter and Advanced Starter signals and Block Section Limit



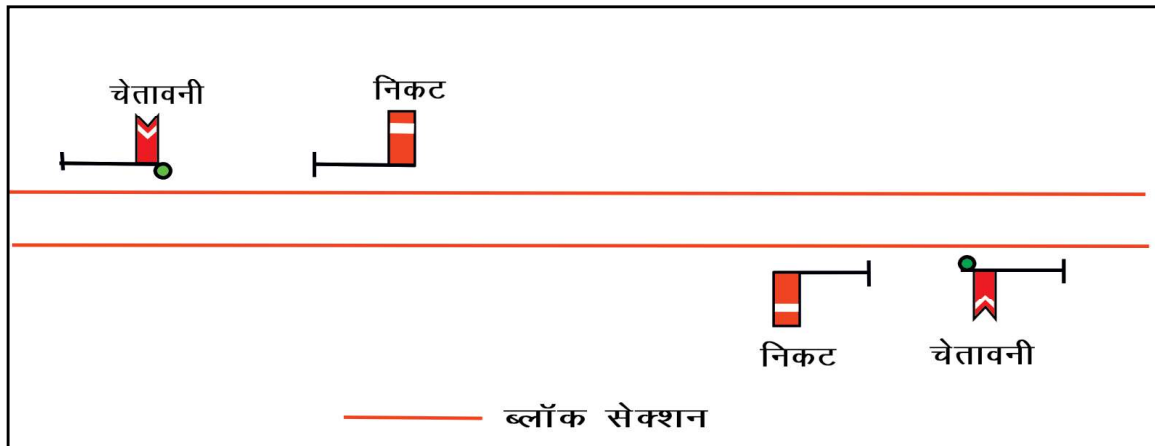
बहुसंकेती सिगनल क्षेत्र में 'बी' क्लास इकहरी (सिंगिल) लाइन स्टेशन पर दूर,
निकट, प्रस्थान और अग्रिम प्रस्थान सिगनल, शंटिंग लिमिट बोर्ड



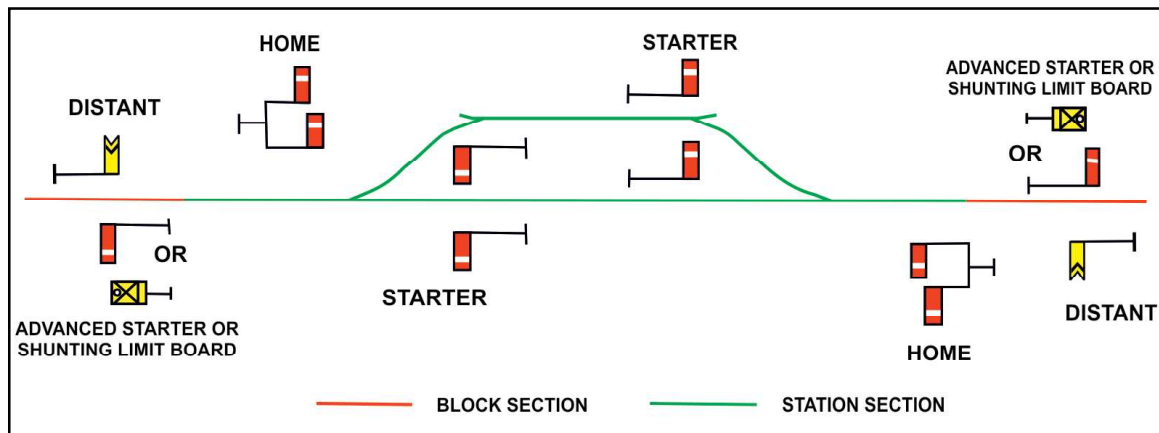
संशोधित लोअर क्वार्टेंट सिगनल क्षेत्र में 'बी' क्लास इकहरी (सिंगिल) लाइन स्टेशन पर दूर,
चेतावनी, निकट, प्रस्थान और अग्रिम प्रस्थान सिगनल, शंटिंग लिमिट बोर्ड



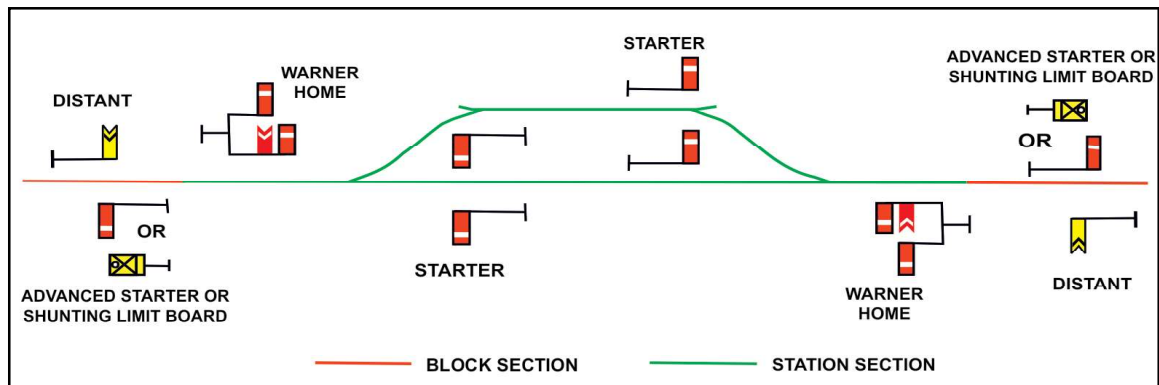
द्विसंकेती सिगनल वाले क्षेत्र में 'सी' क्लास दोहरी (डबल) लाइन
स्टेशन पर चेतावनी और निकट सिगनल



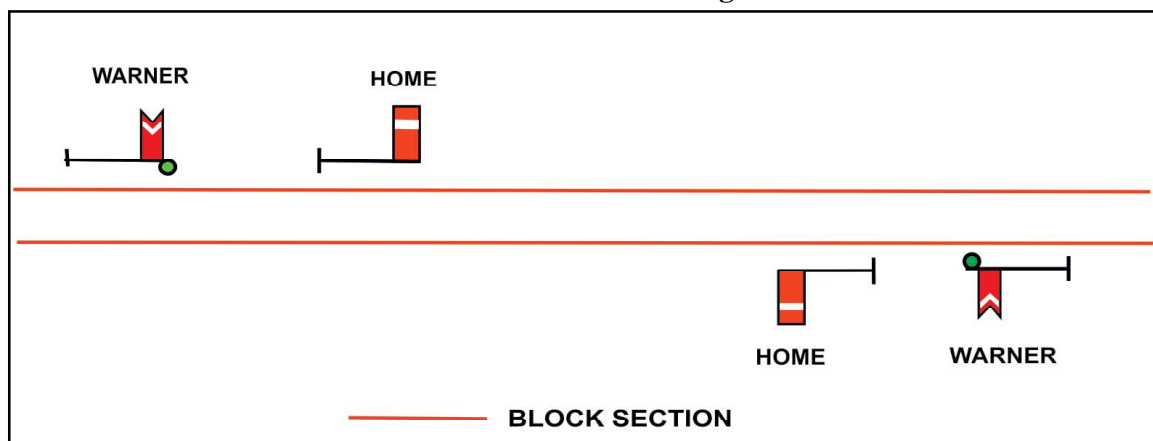
Class 'B' Single line station in multiple-aspect signalling territory with Distant, Home, Starter and Advanced Starter signals/Shunting Limit Boards



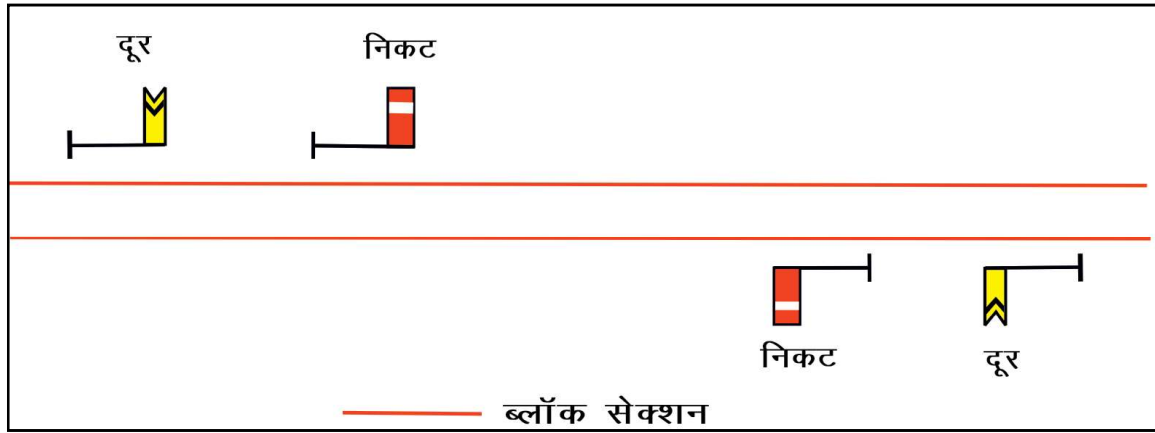
Class 'B' Single line station in modified lower quadrant signalling territory with Distant, Warner, Home, Starter and Advanced Starter signals/Shunting Limit Board



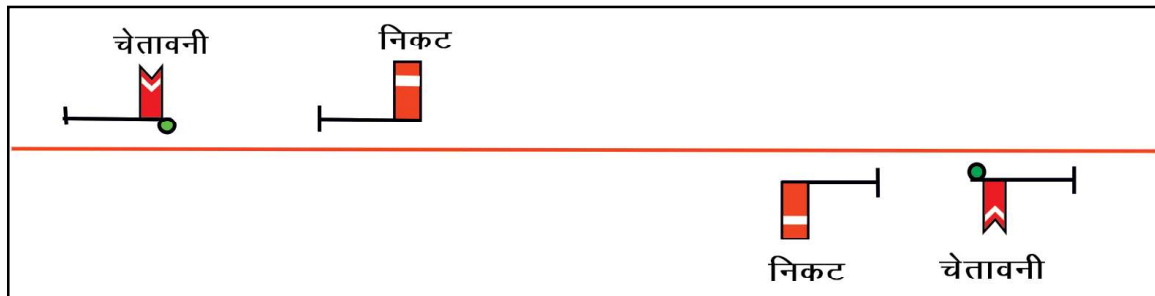
Class 'C' Double line station in two-aspect signalling territory with Warner and Home signals



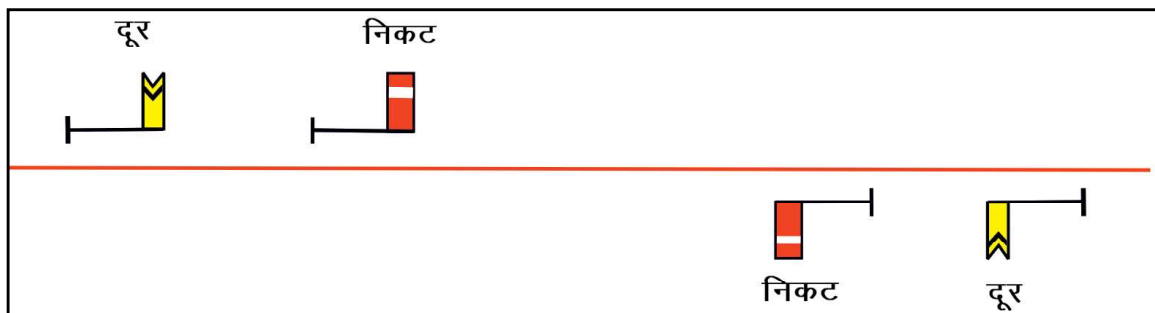
बहु-संकेती सिगनल क्षेत्र में 'सी' क्लास दोहरी (डबल)
लाइन स्टेशन पर दूर और निकट सिगनल



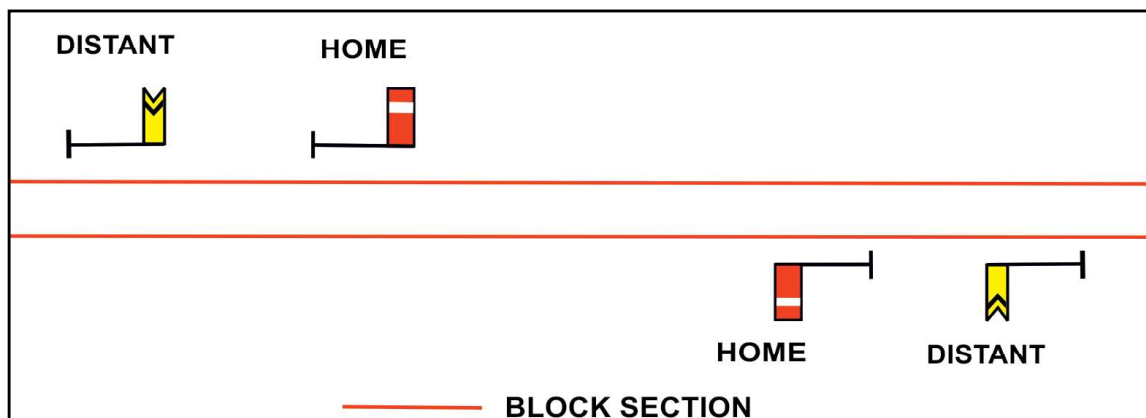
द्विसंकेती सिगनल वाले क्षेत्र में 'सी' क्लास इकहरी (सिंगल) लाइन
स्टेशन पर चेतावनी और निकट सिगनल



बहु संकेती सिगनल क्षेत्र में 'सी' क्लास इकहरी (सिंगल)
लाइन स्टेशन पर दूर और निकट सिगनल



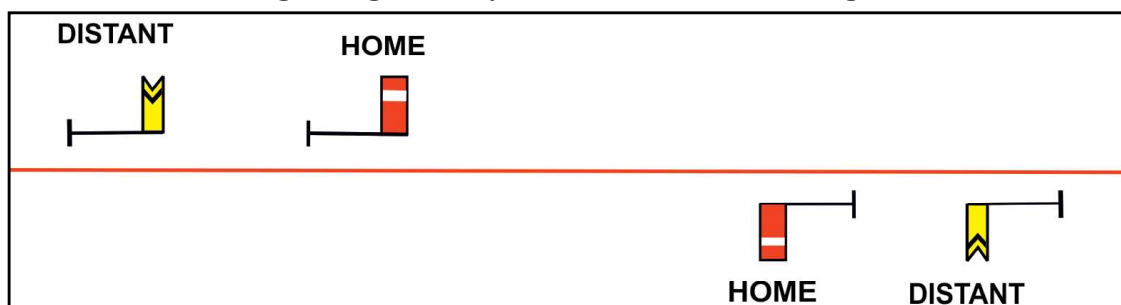
**Class 'C' Double line station in multiple-aspect signalling territory with
Distant and Home signals**



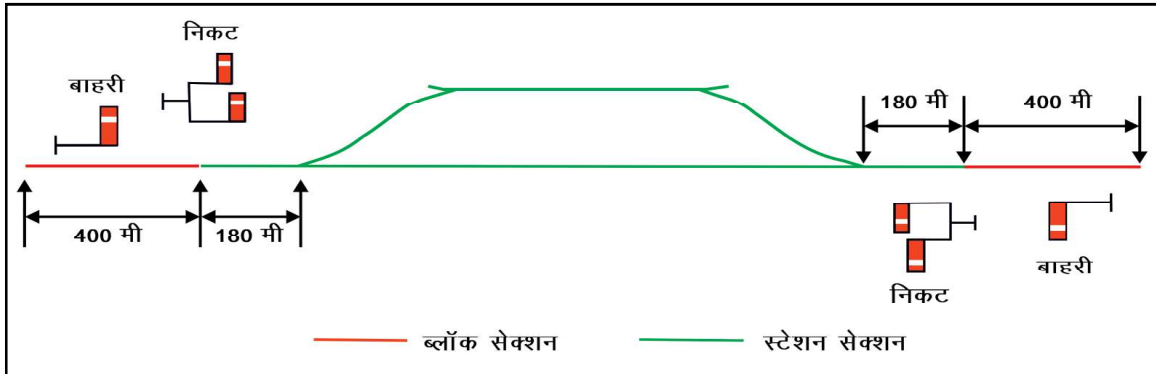
**Class 'C' Single line station in two-aspect signalling territory with
Warner and Home signals**



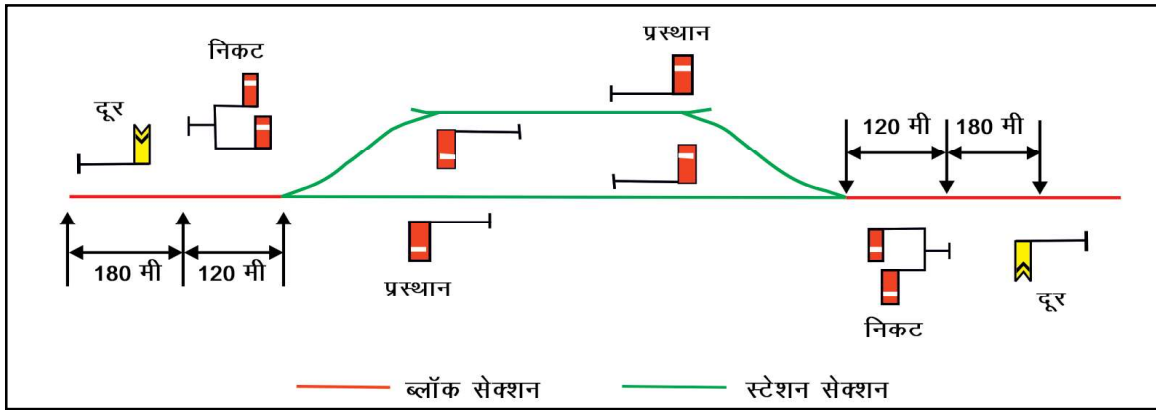
Class 'C' Single line station in multiple-aspect signalling territory with Distant and Home signals



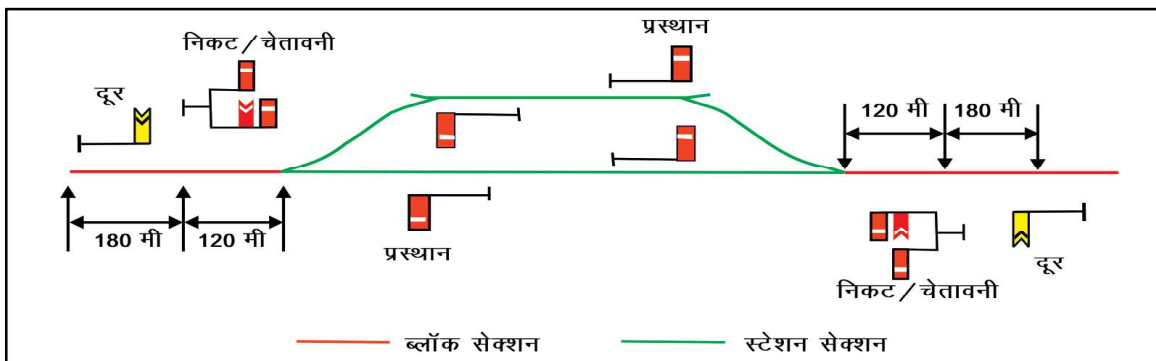
द्विसंकेती सिगनल वाले क्षेत्र में 'बी' क्लास इकहरी (सिंगिल) लाइन स्टेशन पर बाहरी और निकट सिगनल (नियम 8.03 नोट देखें)



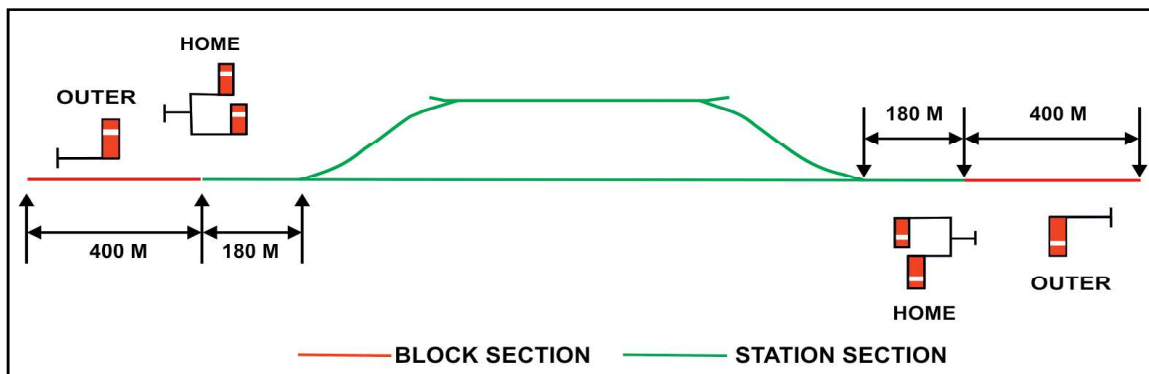
बहु संकेती सिगनल क्षेत्र में 'बी' क्लास इकहरी (सिंगिल) लाइन स्टेशन पर दूर, निकट और प्रस्थान सिगनल (नियम 8.03 नोट देखें)



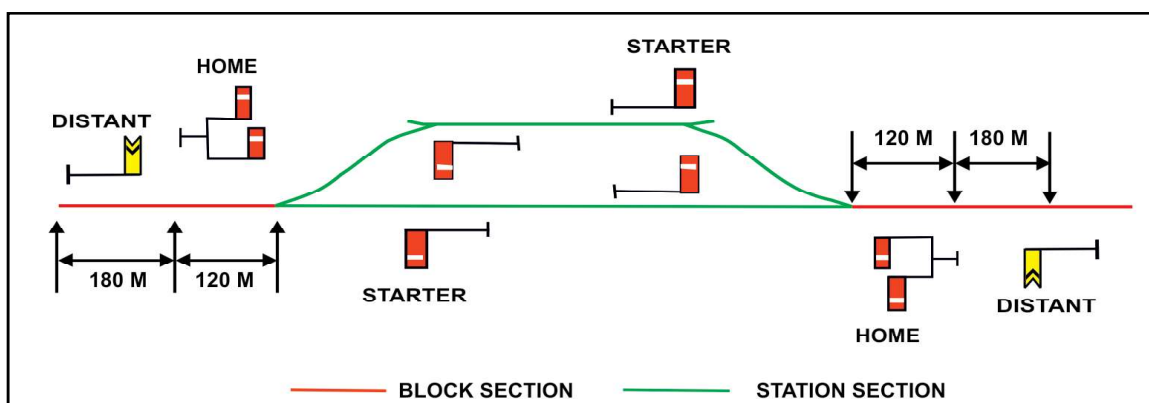
संशोधित लोअर क्वार्टर सिगनल क्षेत्र में 'बी' क्लास इकहरी (सिंगिल) लाइन स्टेशन पर दूर, चेतावनी, निकट, प्रस्थान सिगनल (नियम 8.03 नोट देखें)



**Class 'B' Single line station in two-aspect signalling territory
with Outer and Home signals (Note to Rule 8.03 refers)**



**Class 'B' Single line station in multiple-aspect signalling territory with Distant
Home and Starter signals (Note to Rule 8.03 refers)**



**Class 'B' Single line station in modified lower quadrant signalling territory with
Distant, Warner, Home and Starter signals (Note to Rule 8.03 refers)**

